त ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 11178 / 2002 / जयपुर सरकार बनाम केसरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अभिभाषक।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 18–11–2025

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम), जयपुर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 29–05–2002 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार जयपुर ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि ग्राम मुडिया रामसर तहसील जयपुर की चकबन्दी रजिस्टर सम्वत् 2015–34 में खसरा नं0 196 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 1बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मन्दिर श्री महादेवजी महाराज वाके देह वहतनाम पुजारी मोतीनाथ पुत्र रामनाथ कौम जोगी सा.देह की खतेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2021 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय मोतीनाथ पुत्र रामनाथ कौम जोगी सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार मोतीनाथ के फौत होने पर जरिए नामान्तरकरण संख्या 70 विरासत से भूमि केशरनाथ, सूज्यानाथ, नानूनाथ, छोटूनाथ, के नाम तथा खातेदार सूज्यानाथ, नानूनाथ, छोटूनाथ के नाम तथा

त ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 11178 / 2002 / जयपुर सरकार बनाम केसरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार सूज्यानाथ के फौत होने पर जरिए विरासत नामान्तरकरण संख्या 116 से गोपाल, मुन्ना, हरसहाय, लछमन सूज्यानाथ के नाम दर्ज होकर जमाबन्दी संवत 2033–36 में भूमि अप्रार्थी केसरनाथ, नानूनाथ, छोटूनाथ मोतीनाथ हि0 3 / 4 गोपाल, मुन्ना, हरसहाय, लछमन के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तारन्तरण हुआ है, वह गलत है। अतः उक्त प्रविष्टियो विलोपित की जाकर वापस भूमि माफी मन्दिर श्री महादेवजी महाराज वाके दहे के नाम दर्ज की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मो0 इकबाल, सरीफ खॉ, हाकमअली ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी को बार–बार जवाब हेतु अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं कर पाए। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण क्षेत्राधिकारिता के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में दर्ज किए गए खातेदारी अधिकारों को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार इस प्रकार कि ग्राम मुण्डिया रामसर तहसील जयपुर की चकबन्दी रजिस्टर सम्वत् 2015–34 में खसरा नं0 196 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 1बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मन्दिर श्री महादेवजी महाराज वाके देह वहतनाम पुजारी मोतीनाथ पुत्र रामनाथ कौम जोगी सा.देह की खतेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था। कालान्तर में	

त ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 11178 / 2002 / जयपुर सरकार बनाम केसरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमाबन्दी सम्वत् 2021 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय मोतीनाथ पुत्र रामनाथ कौम जोगी सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार मोतीनाथ के फौत होने पर जरिए नामान्तरकरण संख्या 70 विरासत से भूमि केशरनाथ, सूज्यानाथ, नानूनाथ, छोटूनाथ, के नाम तथा खातेदार सूज्यानाथ, नानूनाथ, छोटूनाथ के नाम तथा खातेदार सूज्यानाथ के फौत होने पर जरिए विरासत नामान्तरकरण संख्या 116 से गोपाल, मुन्ना, हरसहाय, लछमन सूज्यानाथ के नाम दर्ज होकर जमाबन्दी संवत 2033–36 में भूमि अप्रार्थी केसरनाथ, नानूनाथ, छोटूनाथ मोतीनाथ हि0 3/4 गोपाल, मुन्ना, हरसहाय, लछमन के नाम खातेदारी में दर्ज है। । उक्त माफी मंदिर की आराजी का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम	

त ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 11178 / 2002 / जयपुर सरकार बनाम केसरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला कलेक्टर ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मुडिया रामसर तहसील जयपुर की चकबन्दी रजिस्टर सम्वत् 2015–34 में खसरा नं0 196 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 1बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मन्दिर श्री महादेवजी महाराज वाके देह वहतनाम पुजारी मोतीनाथ पुत्र रामनाथ कौम जोगी सा.देह की खतेदारी निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद फैशल शुमार की जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य